न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वत सिंह चुण्डावत **R.A.S.**

GCMS प्रकरण संख्या 2022/430

प्रकरण संख्या 185/22

अनवान

1. श्री नाथू पिता बाबरू रावत निवासी खाना तलाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री शंकर पिता बाबरू रावत निवासी खाना तलाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्री गोविन्द पिता जेता रावत निवासी खाना तलाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री भेरा पिता दीपा रावत निवासी खाना तलाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
3. श्री रामा पिता हेंगा रावत निवासी खाना तलाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
4. श्री हीरा पिता उदा रावत निवासी खाना तलाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
5. श्री केशु पिता चतरा रावत निवासी खाना तलाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
6. श्री भेरा पिता पदमा रावत निवासी खाना तलाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
7. श्री मोती पिता धुला मेघवाल निवासी खाना तलाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
8. श्री नारायण पिता वरदा रावत निवासी खाना तलाब तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :— 09.10.2023

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खाना तलाब पटवार मण्डल सवना तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–81 में खाता संख्या नया 37 की आराजी नम्बर 1216/352, 1256/353, 277, 574 से 577, 587 से 592, 597, 617 से 619, 650, 621 से 625, 627 से 629, 749, 750 कुल किता 29 रकबा 5.6000 हैक्टेयर भूमि स्थित है उक्त कुलिया भूमि प्रार्थीगण के नाम पर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी से अंकित है।
2. यह कि कलम नंबर 1 में वर्णित प्रार्थी की भूमि के पडौस में विपक्षीगण की भूमि आ गई और प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नही होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विपक्षीगण से विवाद रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनग्रस्त आराजीयात भूमि की प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में पक्की पत्थरगढी कराई जाने का निवेदन किया।
3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 1 से द्वारा जवाब पेश कर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.11.03 14:13:36 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 4, 5, 7, 8 के अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब पेश नहीं कर पत्थरगढी पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 9 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण की भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण दर्ज है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थनाग्रस्त की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। प्रार्थीगण विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वी किया जाता है मौजा खाना तलाब पटवार मण्डल सवना तहसील भीण्डर जिला उदयपु जमाबंदी संवत् 2078–81 में खाता संख्या नया 37 की आराजी नम्बर 1216/352, 1256/ 277, 574 से 577, 587 से 592, 597, 617 से 629, 749, 750 कुल किता 29 रकबा 5.6 हैक्टेयर भूमि में चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। प पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्य करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को एक दिन का वेतन प्रार्थीगण द्वारा अदा कि जावें। तहसीलदार भीण्डर को आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाव पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2023.11.03 14:13:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।